(10)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 179/2020 — दायर दिनांक–21–09–2020

1 रामनिवास पुत्र श्री भागूराम उर्फ भागला जाति मेघवाल निवासी बुगाला तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)
2 किस्तुरी देवी पुत्री श्री भागूराम उर्फ भागला जाति मेघवाल निवासी बुगाला हाल आबाद देवागांव परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज.)

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री महेश कुमार नारनोलिया
वकील प्रति. नं. :– राज. पैरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकॉर्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 26.08.2022

वाद वादी ने एक वाद इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम बुगाला में स्थित भूमि खाता संख्या नया 236 पुराना 224 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 1.000 हैक्टर बारानी स्थित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के पिता के नाम दर्ज चला आ रहा है। जो आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वाद पत्र की मद संख्या 1 में वादीगण के पिता भागला उर्फ भागुराम खातेदार काश्तकार था भागुराम ने उपरोक्त भूमि को अपने जीवनकाल में काश्त किया ओर काबिज रहा तथा वादीगण के पिता भागुराम का स्वर्गवास दिनांक 24.12.2010 को हो गया है तथा भागुराम की धर्मपत्नी छोटी देवी का भी स्वर्गवास दिनांक 24.04.2013 को हो गया है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पश्चात हुआ है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के तहत अगर कोई काश्तकार निर्ववसीयत मृत्यु होती है तो उसकी काश्त की भूमि को उसके वारिसानों में स्वत: ही निगमित हो जाती है वादीगण भागुराम के जायन्दा पुत्र व पुत्री है। वादीगण के पिता भागुराम ने अपने जीवनकाल में व उसकी धर्मपत्नी ने उपरोक्त भूमि की कोई वसीयत नही लिखी है वादीगण का उपरोक्त भूमि में हक निहित है। लेकिन आज भी उपरोक्त विवादित भूमि में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शुदा है वादीगण अपने हक व हिस्से की अधिकारों की घोषणा करवाने यह दावा घोषणार्थ श्रीमान्जी के समक्ष पेश कर रहा है।

हनुता ओर कालू दो सगे भाई थे हनुता कर्ता खानदान बडे होने से इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया हनुता के एक पुत्र पन्नाराम जो घोटी देवी से विवाहित था जो नाऔलाद फौत हो गया। पन्नाराम के नाऔलाद फौत होने से उसकी पत्नी घोटी देवी ने पन्नाराम [illegible] भाई के पुत्र भागला की चुडी समाज बिरादरी के लोगो ने बैठकर पहराई गई। जि[illegible] पत्र [illegible] साथ संलग्न है। भागला व घोटी देवी के सहवास से वादीगण रामनिवास व पुत्री किस्[illegible] [illegible]नी वारिस है। कालूराम व हनुता फौत होने पर कर्ता खान दान हनुता होने से वादीगण के पिता का नाम भागला उर्फ भागु[illegible] कालूराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए था लेकिन प्रारम्भ से ही राजस्व रि[illegible] पन्ना पुत्र हनुता ओर [illegible] पुत्र हनुता रहा है। तथा पन्ना व भागला फौत होने पर राजस्व रिकॉर्ड में सही व वास्तविक नाम भागला पुत्र कालूराम दर्ज होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:53:10 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

...ए था लेकिन राजस्व रिकार्ड गलत होने से भागला पुत्र हनुता दर्ज हो गया जिसका राजस्व रिकॉर्ड सही व शुद्ध करवाने हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

वादी पत्र की धारा 1 में दर्ज प्रश्नगत भूमि वादीगण को उसके पूर्वज पिता के भागला उर्फ भागुराम से विरासत से मिली हुई पैत्रिक भूमि है।

वादीगण ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति है ज्यादा पढे लिखे नही है। मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते है। वादीगण ने दिनांक 02.09.2020 को पटवारी हल्का बुगाला के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गया तो पिता के नाम से दर्ज है। आपके नाम खातेदारी दर्ज नही है। तब वादीगण के राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त हुई। वादीगण को पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नही थी क्यों कि वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा व काश्त चला आ रहा है जिसका कोई विवाद नही है। वादीगण उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में अपने पिता का नाम हजफ करवाने के लिए तथा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए यह दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वादपत्र के लिए वादीगण को पटवारी हल्का के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने पर गलत राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने पर सही जानकारी होने के रोज दिनांक 02.09.2020 को अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ तथा इस प्रकार के वादपत्र के लिए वादीधिकार हमेशा ही पैदा होता रहता है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया किया कि ग्राम बुगाला में स्थित भूमि खाता संख्या नया 236 पुराना 224 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 1.000 हैक्टर में वादीगण के पिता भागला पुत्र हनुता का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। तथा वादीगण के पिता का नाम भागला के स्थान पर भागुराम दुरूस्त किया जावे। अन्य सिद्धि जो वादीगण के पक्ष में हो और चाही जाने से रहा गई हो तो वह भी दिलवाई जावें।

वाद-पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी नम्बर 01 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ की ओर राज-पैरोकार उपस्थित आये तथा आदेशिका में कथन किया कि वादीगण द्वारा चाही गई रिलीफ में कोई राजहित प्रभावित नही होता है तो वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार करने की सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में राज-पैरोकार की ओर से सहमति आने पर प्रकरण में तनकीयात कायम की जानी आवश्यक नही है। शहादत वादी में वादी रामनिवास एवं गवाह सत्यवीर उपस्थित हो मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किये। वादीगण ने अपने वाद-पत्र के समर्थन में प्रदर्श-1 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श-2 जमाबंदी सम्वत् 2015-2018, प्रदर्श-3 जमाबंदी सम्वत् 2019-2022, प्रदर्श-4 जमाबंदी सम्वत् 2023-2026, प्रदर्श-5 जमाबंदी सम्वत् 2029-2032, प्रदर्श-6 जमाबंदी सम्वत् आधार वर्ष 2043, प्रदर्श-7 जमाबंदी 2058-2061, प्रदर्श-8 जमाबंदी सम्वत् 2063-2066, प्रदर्श-9 वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 आदि प्रदर्शित कराये।

शहादत पेश होने पर बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद-पत्र में अंकित तथ्यो की पुनरावृति करते हुये कथन किया कि ग्राम बुगाला में स्थित भूमि खाता संख्या नया 236 पुराना 224 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 1.000 हैक्टर किसम बारानी स्थित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। वादीगण के पिता भागला उर्फ भागुराम खातेदार काश्तकार था। भागुराम का स्वर्गवास दिनांक 24.12.2010 को हो गया है तथा भागुराम की धर्मपत्नी छोटी देवी का भी स्वर्गवास दिनांक 24.04.2013 को हो गया है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पश्चात हुआ है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 ... अगर कोई काश्तकार निर्वसीयत मृत्यु होती है तो उसकी काश्त की भूमि को उसके ... हो जाती है वादीगण भागुराम के जायन्दा पुत्र व पुत्री है। वादीगण के पिता भागुराम ... धर्मपत्नी ने उपरोक्त भूमि की कोई वसीयत नही लिखी है वादीगण का उपरोक्त भूमि में हक निहित है। उपरोक्त विवादित भूमि में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शुदा है। हनुता और कालू दो ... भाई थे हनुता कर्ता खानदान बडे होने से इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया हनुता के एक पुत्र पन्नाराम जो घोटी देवी से विवाहित था जो नाऔलाद फौत हो गया। पन्नाराम के नाऔलाद फौत होने से उसकी पत्नी घोटी देवी ने पन्नाराम के पिता के भाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:53:10 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

...त्र भागला की चुडी समाज बिरादरी के लोगो ने बैठकर पहराई गई। जिसकी लिखावट वाद पत्र के साथ संलग्न है। भागला व घोटी देवी के सहवास से वादीगण रामनिवास व पुत्री किस्तुरी का जन्म हुआ जो उनके कानूनी वारिस है। कालूराम व हनुता फौत होने पर कर्ता खान दान हनुता होने से वादीगण के पिता का नाम भागला उर्फ भागुराम पुत्र कालूराम के बजाय भागला पुत्र हनुता रहा है जिसको दरूस्त फरमाया जावे।

बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–9 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार विवादग्रस्त भूमि ग्राम बुगाला में स्थित भूमि खाता संख्या नया 236 पुराना 224 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 1.000 हैक्टर किस्म बारानी स्थित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के पिता के नाम दर्ज है प्रमाणित होता है। विवादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता भागला उर्फ भागुराम खातेदार काश्तकार था। विवादग्रस्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 388 जिसके नये खसरा नम्बर 512 बनाना प्रदर्श–1 मिलान क्षैत्रफल से प्रमाणित होते है। विवादग्रस्त भूमि के पन्ना पुत्र हनुता कौम चमार साकिन देह खातेदार काश्तकार थे जिसमें बतौर उप–कृषक वादीगण के पिता भागला पुत्र हनुताराम राम दर्ज रिकार्ड है जो प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2015–2018, प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत् 2019–2022, प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2023–2026, प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत् 2029–2032 से सिद्ध होता है। भागुराम का स्वर्गवास दिनांक 24.12.2010 को हो गया है तथा भागुराम की धर्मपत्नी छोटी देवी का भी स्वर्गवास दिनांक 24.04. 2013 को हो गया है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पश्चात हुआ है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के तहत अगर कोई काश्तकार निर्वसीयत मृत्यु होती है तो उसकी काश्त की भूमि को उसके वारिसानों में स्वतः ही निगमित हो जाती है वादीगण भागुराम के जायन्दा पुत्र व पुत्री है। वादीगण के पिता भागुराम ने अपने जीवनकाल में व उसकी धर्मपत्नी ने उपरोक्त भूमि की कोई वसीयत नही लिखी है वादीगण का उपरोक्त भूमि में हक निहित है। उपरोक्त विवादित भूमि में वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज शुदा है। हनुता ओर कालू दो सगे भाई थे हनुता कर्ता खानदान बडे होने से इनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया हनुता के एक पुत्र पन्नाराम जो घोटी देवी से विवाहित था जो नाऔलाद फौत हो गया। पन्नाराम के नाऔलाद फौत होने से उसकी पत्नी घोटी देवी ने पन्नाराम के छोटे भाई के पुत्र भागला की चुडी समाज बिरादरी के लोगो ने बैठकर पहराई गई। जिसकी लिखावट वाद पत्र के साथ संलग्न है। भागला व घोटी देवी के सहवास से वादीगण रामनिवास व पुत्री किस्तुरी का जन्म हुआ जो उनके कानूनी वारिस है। कालूराम व हनुता फौत होने पर कर्ता खान दान हनुता होने से वादीगण के पिता का नाम भागला उर्फ भागुराम पुत्र कालूराम के बजाय भागला पुत्र हनुता रहा है। फलस्वरूप वाद वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित है न्यायोचत है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 236 पुराना 224 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 1.000 हैक्टर किसम बारानी में दर्ज खातेदार भागला पुत्र हनुता का नाम हजफ कर उसके स्थान वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के पिता का नाम भागला के स्थान पर भागूराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दि[illegible] अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील [illegible] दिनांक 26.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:53:10 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
नवलगढ जिला–झुन्झुनूं

13

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास नवलगढदमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

मुकदमा संः– 2021 / 179

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती
(रामनिवास बनाम तहसीलदार आदि)

पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कवंर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया 26.08.2022 निर्णय अनुसार वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम बुगाला की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या नया 236 पुराना 224 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 512 रकबा 1.000 हैक्टर किसम बारानी में दर्ज खातेदार भागला पुत्र हनुता का नाम हजफ कर उसके स्थान वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण के पिता का नाम भागला के स्थान पर भागूराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।
जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **26.08.2022** को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर नगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:53:10 IST
Reason: SelfAttested